

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नय
अहम
हुक्म व
में जा

अब मुसलमान व हदीसद्वारा विधेय खर्च 257
में भी केला देवा विर उद्योग धरती से चलाया
है जिले 62 38.19 वगैरै का प्रत्येक मालिक
हो चुका है शेष खर्चा खाली पडा है तथा
खर्च 256, 290, 654, 290, 681, 290 में

पु लुदाई का खर्चा पडा हुआ है विर उद्योग खर्च
को धारा 177 RTA से मुक्त किया जा रहा है।
अब वहील दल मुसलमान को आदे रिशत

दिना जाता है आंख 200 नं. $\frac{257}{0.75}$, $\frac{256}{0.57}$, $\frac{290/654}{0.57}$

$\frac{290}{0.13}$, $\frac{681/290}{0.29}$ से धारा 177 RTA

की कार्यवाही से मुक्त करने की कार्यवाही

की विर उद्योग विधेय 5-1-24 को (के.ए.ए.)

जाल में के माफा में कुनाया गया। पाला

केलन हुआ है प्रत्येक मालिक को धारा 177

इमरान गुर्ग
31/10/25
अहमद इनिशियल्स
जज (मालिक)